

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बाजदायरी गजेन्द्र सिंह राजावत एडवोकेट गजेन्द्र सिंह राजावत
राज्य राजस्थान नम्बर 24/2020 सन् 20 20 (25)
किस्म मुकदमा वाजदायरी

2020/00024

(रहस्य)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी 19.1.20	श्री <u>गजेन्द्र सिंह राजावत</u> यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी श्री गजेन्द्र सिंह राजावत एडवोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 28.05.2019 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने से प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। बाजदायरी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। तत्पश्चात बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस बताया कि न्यायालय के समक्ष पेशी पर बरवक्त आवाज प्रार्थीगण के अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में बहस में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकें तथा जब माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए तो बताया गया कि उक्त प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। उपरोक्त कारण से प्रार्थीगण के अधिवक्ता की न्यायालय में बरवक्त आवाज अनुपस्थिति सद्भाविक थी। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि न्यायहित में प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश देना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।	